

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2020—कार्तिक 29, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शुभम कुमार सोनी आत्मज श्री अनिल कुमार सोनी, उम्र 24 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-36, पोस्ट आफिस के पीछे, न्यू खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा पूर्ण नाम शुभम कुमार सोनी है जो कि कक्षा बारहवीं की अंकसूची में, आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा दसवीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम शुभम सोनी दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे शुभम कुमार सोनी (Shubham Kumar Soni) आत्मज श्री अनिल कुमार सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शुभम सोनी
(Shubham Soni)
पिता-श्री अनिल कुमार सोनी
निवासी-वार्ड नं.-36,
पोस्ट आफिस के पीछे,
न्यू खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शुभम कुमार सोनी
(Shubham Kumar Soni)
पिता-श्री अनिल कुमार सोनी
निवासी-वार्ड नं.-36,
पोस्ट आफिस के पीछे,
न्यू खुर्सीपार, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पार्थ शुक्ला आत्मज श्री हेमंत कुमार शुक्ला, उम्र 26 वर्ष, निवासी-मकान नं.-26, वार्ड नं.-17, शक्ति नगर, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम पूजा शुक्ला था, जिसे परिवर्तित कर नया नाम पार्थ शुक्ला रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे पार्थ शुक्ला (Parth Shukla) आत्मज श्री हेमंत कुमार शुक्ला के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

पूजा शुक्ला
(Pooja Shukla)
पिता-श्री हेमंत कुमार शुक्ला
निवासी-मकान नं.-26, वार्ड नं.-17,
शक्ति नगर, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

पार्थ शुक्ला
(Parth Shukla)
पिता-श्री हेमंत कुमार शुक्ला
निवासी-मकान नं.-26, वार्ड नं.-17,
शक्ति नगर, राजनांदगांव,
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मथुरा यादव ध. प. श्री दानेश्वर सिंह यादव, उम्र 53 वर्ष, निवासी-155-जी, गायत्री नगर, वार्ड नं.-15, भिलाई-3, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मथुरा देवी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम मथुरा यादव है, मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड में, मेरे नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे मथुरा यादव ध. प. श्री दानेश्वर सिंह यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

मथुरा देवी
पति-श्री दानेश्वर सिंह यादव
निवासी-155-जी, गायत्री नगर,
वार्ड नं.-15, भिलाई-3,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मथुरा यादव
पति-श्री दानेश्वर सिंह यादव
निवासी-155-जी, गायत्री नगर,
वार्ड नं.-15, भिलाई-3,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भुनेश्वरी चंद्रवंशी ध. प. श्री दारा सिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी-286 ई, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम भुनेश्वरी कैवर था जो कि मेरे कक्षा 10 वीं, 12वीं, के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है। मैं शा. बहु. उ. मा. वि. दुर्ग में कार्यरत हूँ। मेरा विवाह दिनांक 22-05-2002 को श्री दारा सिंह के साथ संपन्न हुआ। मैंने अपने नाम के साथ उपनाम “चंद्रवंशी” जोड़कर नया नाम श्रीमती भुनेश्वरी चंद्रवंशी रख ली हूँ। जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है। मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं उनके सर्विस रिकार्ड में उनका नाम दारा सिंह दर्ज है जो कि सही है, किन्तु उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भुनेश्वरी देवी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने नये नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती भुनेश्वरी चंद्रवंशी ध. प. श्री दारा सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
भुनेश्वरी कैवर, भुनेश्वरी देवी पति- श्री दारा सिंह निवासी-286 ई, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती भुनेश्वरी चंद्रवंशी पति- श्री दारा सिंह निवासी-286 ई, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पिया साखरकर ध. प. विक्रम साखरकर, उम्र 28 वर्ष, निवासी-प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम पापीया भौमिक आत्मजा आर. भौमिक था तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पापीया भौमिक आत्मजा रथिन भौमिक दर्ज है। मेरा विवाह दिनांक 18-12-2012 को श्री विक्रम साखरकर के साथ संपन्न हुआ, पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम पिया साखरकर रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे पिया साखरकर (Piya Sakharkar) ध. प. विक्रम साखरकर (Vikram Sakharkar) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
पापीया भौमिक (Papiya Bhowmick) पिता-श्री आर. भौमिक, रथिन भौमिक निवासी-प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	पिया साखरकर (Piya Sakharkar) पति- श्री विक्रम साखरकर (W/o-Shri Vikram Sakharkar) निवासी-प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तृष्णा कैवर ध. प. श्री रामाधार, उम्र 42 वर्ष निवासी-क्वा. नं.-6/सी, सड़क-एवेन्यू-ई, सेक्टर-6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा वास्तविक नाम तृष्णा कैवर है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पेनकार्ड बैंक रिकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है। मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम तृष्णा दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे तृष्णा कैवर ध. प. श्री रामाधार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

तृष्णा
पति- श्री रामाधार
निवासी-क्वा. नं.-6/सी,
सड़क-एवेन्यू-ई, सेक्टर-6,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

तृष्णा कैवर
पति- श्री रामाधार
निवासी-क्वा. नं.-6/सी,
सड़क-एवेन्यू-ई, सेक्टर-6,
भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेन्द्र कुमार पटेल आत्मज पटेल छगन, उम्र 50 वर्ष, निवासी-3-ए, वाटर सप्लाई रूम क्वाटर, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नरेन्द्र कुमार दर्ज है। जो कि अपूर्ण है, मैं अपने नाम के साथ उपनाम “पटेल” जोड़कर नया नाम नरेन्द्र कुमार पटेल रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे नरेन्द्र कुमार पटेल आत्मज पटेल छगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नरेन्द्र कुमार
पिता- पटेल छगन
निवासी-3-ए, वाटर सप्लाई रूम क्वाटर,
मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

नरेन्द्र कुमार पटेल
पिता- पटेल छगन
निवासी-3-ए, वाटर सप्लाई रूम क्वाटर,
मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रंजीत कुमार मित्रा आत्मज श्री गौरंग चरण मित्रा, उम्र 57 वर्ष, निवासी-डहलिया-304, बी-ब्लाक, तालपुरी, छ. ग. हाऊसिंग बोर्ड, रूआबांधा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड व कुछ अन्य अभिलेखों में मेरा पूर्ण नाम रंजीत कुमार मित्रा तथा कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रंजीत कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे रंजीत कुमार मित्रा (Ranjit Kumar Mitra) आत्मज श्री गौरंग चरण मित्रा (Shri Gauranga Charan Mitra) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
रंजीत कुमार (Ranjit Kumar) पिता-श्री गौरंग चरण मित्रा (S/o- Shri Gauranga Charan Mitra) निवासी-डहलिया-304, बी-ब्लाक, तालपुरी, छ. ग. हाऊसिंग बोर्ड, रूआबांधा, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रंजीत कुमार मित्रा (Ranjit Kumar Mitra) पिता-श्री गौरंग चरण मित्रा (S/o- Shri Gauranga Charan Mitra) निवासी-डहलिया-304, बी-ब्लाक, तालपुरी, छ. ग. हाऊसिंग बोर्ड, रूआबांधा, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेमलाल साहू आत्मज स्व. धीरज लाल साहू, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-9-ए, सड़क नं.-11, सेक्टर-5, वार्ड नं.-44, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.), स्थायी निवासी-ग्राम पुरई, पुलिस थाना-उतई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेमलाल आ. धीरज लाल दर्ज है जो कि अपूर्ण है। जबकि मेरा पूर्ण नाम प्रेमलाल साहू आ. धीरज लाल साहू है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य शासकीय अभिलेखों में दर्ज है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे प्रेमलाल साहू आत्मज स्व. धीरज लाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
प्रेमलाल पिता-धीरज लाल निवासी-क्वा. नं.-9-ए., सड़क नं.-11, सेक्टर-5, वार्ड नं.-44, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थायी निवासी-ग्राम-पुरई, पुलिस थाना-उतई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	प्रेमलाल साहू पिता-स्व. धीरज लाल साहू निवासी-क्वा. नं.-9-ए., सड़क नं.-11, सेक्टर-5, वार्ड नं.-44, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थायी निवासी-ग्राम-पुरई, पुलिस थाना-उतई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास एवं पंजीयक बालोद, जिला बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 26 अक्टूबर 2020

रा. प्र. क्र./2020102401000081 ब-113 (1) सन् 2020-2021

प्रारूप-पाँच

[नियम 5 (1) देखिए]

छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये).

क्रमांक/3728/प्र. -1/अ. वि. अ./2020.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा (2) की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास हैं और उसका गठन करती है.

अतः मैं श्रीमती शिल्ली थॉमस, बालोद जिला बालोद का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 23-11-2020 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपर्युक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|------------------------|----|--|
| 1. | लोक न्यास का नाम व पता | :- | श्री सदगुरु कबीर दर्शन मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट बालोद
जिला बालोद (छ. ग.) |
| 2. | चल संपत्ति | :- | ट्रस्ट के फण्ड में 11001/-
(अक्षरी-ग्यारह हजार एक रुपये मात्र) |
| 3. | अचल संपत्ति | :- | निरंक |

शिल्ली थॉमस

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
पंजीयक

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला-बालोद (छ. ग.)

[राजनांदगांव रोड स्टेट बैंक के सामने झुमुक लाल भेड़िया निवास बालोद (छ. ग.)]

बालोद, दिनांक 08 अक्टूबर 2020

क्रमांक/उपंबा./परि./2020/847.—उमरादाह मछुआ सहकारी समिति मर्या. उमरादाह पं. क्र. 2131 विकासखंड-बालोद जिला-बालोद को कार्यालयीन आदेश क्र./उपंबा./परिसमापन/2020/790 बालोद, दिनांक 11-09-2020 से छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा कि धारा 70 (1) के तहत श्री एम. ए. एस. अगवान स. वि. अ. गुंडरदेही को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री एम. ए. एस. अगवान स. वि. अ. गुंडरदेही द्वारा दिनांक 17-09-2020 को संस्था की विशेष आमसभा आयोजित की गई जिसमें लिये गये निर्णय की छायाप्रति संलग्न है जिसमें प्रस्ताव क्र. 01 में संस्था के परिसमापन को निरस्त कर पुर्नजीवित करने का सर्व सम्मति से पारित किया गया है. संस्था के परिसमापक श्री एम. ए. एस. अगवान स.वि.अ. गुंडरदेही द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने बाबत अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि संस्था वर्तमान में अकार्यशील है किंतु संस्था के सक्षमता पूर्वक कार्यशील होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में संस्था को पुर्नजीवित किया जावे.

परिसमापक के प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात पाया गया कि सोसायटी के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये कार्यालयीन आदेश क्र./उपंबा./परिसमापन/2020/790 बालोद, दिनांक 11-09-2020 को रद्द करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है क्योंकि सोसायटी को पुर्नजीवित करने के लिये जो कारण बताये गये हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ.

अतएव मैं टी. आर. साहू उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालोद छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र./एफ/15-19/15-02/03/दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापन आदेश क्र./उपंबा./परिसमापन/2020/790 बालोद, दिनांक 11-09-2020 को रद्द करता हूँ. एवं छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा 69 (4) के अंतर्गत उमरादाह मछुआ सहकारी समिति मर्या. उमरादाह पं. क्र. 2131 विकासखंड-बालोद जिला-बालोद को पुर्नजीवित करता हूँ. तथा संस्था के निर्वाचन होते तक कार्य संचालन के लिए पुर्नजीवन प्रतिवेदन अनुसार निम्नानुसार बोर्ड को नामांकित करता हूँ :-

1.	श्री गोपाल राम	-	अध्यक्ष
2.	श्री मोहन लाल	-	उपाध्यक्ष
3.	श्री तुलाराम	-	सदस्य
4.	श्री दिनेश कुमार	-	सदस्य
5.	श्री कुमुद राम	-	सदस्य
6.	श्री पुनीत राम	-	सदस्य
7.	श्री मुन्ना राम	-	सदस्य
8.	श्री गंगाराम	-	सदस्य
9.	श्री मनोज	-	सदस्य
10.	श्री जगदीश	-	सदस्य
11.	श्री नाथूराम	-	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 08-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

टी. आर. साहू
उप पंजीयक.